राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः–प.2(3)/बैठक/न्याय/2023   दिनांक

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव

महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

विषयः–मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2026 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में।

महोदय/महोदया,

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2026 को आयोजित बैठक में न्यायिक प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए गए है :–

1. राज्य सरकार से संबंधित ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें वित्तिय भार अधिक हो उनकी प्राथमिकता से पर्यवेक्षण तथा समयबद्व जवाबदावा प्रस्तुत किया जावें एवं सरकार के विरूद्व लंबित समस्त न्यायिक प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए।
2. प्रशासनिक विभागों के राज्य नोडल अधिकारी, लाईट्स पोर्टल पर न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाऐं समयबद्व रूप से अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. अवमानना प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

अतः निवेदन है, कि उक्त निर्देशों की पालना में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

भवदीय

अति. मुख्य सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Sawant
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2026.07.20 11:39:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23454460

M e-Sign